



डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह

भारतीय महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष- समाजशास्त्र विभाग, बैसवारा पी०जी० कॉलेज, लालगंज-रायबरेली (उ०प्र०), भारत

Received-08.04.2023,

Revised-15.04.2023,

Accepted-20.04.2023

E-mail: drksinghbdc@gmail.com

सारांश: वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान थी। बौद्धकाल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी किन्तु मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में पतन आरम्भ हो गया। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक अधिनियम बनाये गये। देश की आजादी के समय महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान मूलाधिकार प्रदान किये गये। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में उनके लिये स्थान आरक्षित किये गये। स्वतन्त्रता के उपरान्त महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक अधिनियम जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, स्त्री तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 आदि पारित किये गये। जिनसे महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ।

कुंजीशब्द- भारतीय संविधान, अधिनियम, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, सरावतीकरण।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान थी। वे पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। उस समय की प्रख्यात विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा आदि थीं। महिलाओं को धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। यज्ञ में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। पति एवं पत्नी के बीच समानता, मित्रता एवं अपनत्व की भावना थी।

बौद्ध काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गई थी।

मध्य काल में महिलाओं की स्थिति में पतन आरम्भ हो गया। महिलाओं में पर्दा प्रथा के प्रचलन के साथ शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा, जौहर प्रथा आदि प्रथाओं ने समाज में अपनी जड़ें जमा लीं।

ब्रिटिशकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। महिलाएं अशिक्षा एवं अज्ञानता के बन्धनों में जकड़ी हुई थीं। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु आन्दोलन शुरू किया। उन्हीं के प्रयास से गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक ने सन् 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया। बैंटिक द्वारा मानव बलि प्रथा का अन्त किया गया एवं नवजात कन्याओं की हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले ने सन् 1848 ई० में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला। विधवाओं व नवजात बच्चियों के लिये आश्रय घर की स्थापना की। कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध आवाज उठायी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयास से ही कोलकाता और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिये लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से सन् 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। हर बिलास शारदा के प्रयास से सन् 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई। महात्मा गाँधी ने भी महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव का विरोध किया। वह महिलाओं के शिक्षा हासिल करने और नौकरी करके आत्मनिर्भर होने के भी पक्षधर थे।

देश की आजादी के समय महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनको निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1. मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार,
2. राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार,
3. मौलिक कर्तव्य के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार,
4. अन्य अनुच्छेद के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार,

1. मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार- संविधान के भाग-3 में महिलाओं के लिये पुरुषों के समान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है।

- अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

- अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

- अनुच्छेद 15(3) के अनुसार, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से



निवारित नहीं करेगी।

– अनुच्छेद 16(i) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

– अनुच्छेद 16(ii) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर 8520न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जायेगा।

– अनुच्छेद 19(i) के अनुसार, सभी नागरिकों को वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

– अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

– अनुच्छेद 23 के अनुसार, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्क्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

– अनुच्छेद 24 के अनुसार, चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा या कि अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।

2. राज्य के नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार- भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गयी है। इनके अनुसार राज्य नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में लिंगाधारित भेदभाव नहीं करेगा।

– अनुच्छेद 39(क) के अनुसार, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

– अनुच्छेद 39(घ) के अनुसार, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो।

– अनुच्छेद 39(ङ) के अनुसार, पुरुष और स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

– अनुच्छेद 39(च) के अनुसार, बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

– अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

– अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

3. मौलिक कर्तव्य के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार- संविधान के भाग-4क के अनुच्छेद 51क(ङ) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भावत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध हैं।

4. अन्य अनुच्छेद के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार- अनुच्छेद 243घ(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किये जा सकेंगे।

– अनुच्छेद 243घ(4) के अनुसार, पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

– अनुच्छेद 243न(3) के अनुसार, प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किये जा सकेंगे।

– अनुच्छेद 243न(4) के अनुसार, नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करे।

– अनुच्छेद 325 व 326-निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से मत देने एवं चुने जाने का अधिकार देता है।

स्वतन्त्र भारत में महिला विकास हेतु निर्मित अधिनियम- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955- यह अधिनियम मई 1955 में पारित किया गया जो प्रत्येक हिन्दू पर लागू है जिनमें जैन, बौद्ध, सिक्ख भी सम्मिलित हैं किन्तु यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से सम्बन्धित पूर्व में पास किये गये सभी अधिनियम रद्द किये गये और सभी हिन्दुओं पर एक समान कानून लागू किया गया। इसमें समस्त जातियों के स्त्री पुरुष को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किये गये हैं। सन्



1976 में इस विधान में संशोधन कर यह अनुमति प्रदान की गई है कि पति पत्नी परस्पर सहमति से भी तलाक ले सकते हैं किन्तु उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे पिछले एक वर्ष से अलग-अलग रह रहे हैं और उनमें मेल सम्भव नहीं हो सका है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956- इसके द्वारा महिलाओं को भी सम्पत्ति में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये। हिन्दू समाज में प्रचलित दायभाग एवं मिताक्षरा शाखा के नियम समाप्त हो गये। इसमें हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जन्म से सहदायिक बन जाता है। हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की सम्पत्ति में सहदायिकों और सदस्यों के अधिकार अलग-अलग हैं। सहदायिकों को सम्पत्ति के बंटवारे की मांग करने और शेर प्राप्त करने का अधिकार है।

इसके अनुसार शादी के बाद बेटी पिता के हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) में सदस्य नहीं रहेगी और अगर सम्पत्ति का विभाजन हो जाता है तो वह सम्पत्ति में हिस्सेदारी की हकदार नहीं होगी।

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005- इसके तहत शादी के बाद बेटी अपने माता-पिता की हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की सदस्य नहीं रहेगी लेकिन सहदायिक बनी रहेगी। इसलिए वह हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति के विभाजन के लिए पूछने और अपने परिवार की कर्ता बनने की हकदार हैं, यदि वह अपने पिता के हिन्दू अविभाजित परिवार की सबसे बड़ी सहदायक है। विवाहित बेटी की मृत्यु की स्थिति में उसके बच्चे उसके हिस्से के हकदार होंगे।

स्त्री तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956- सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार वेश्यालय चलाने वाले को 1 से 15 वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वेश्यालय में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो तथा वेश्या की आय पर आश्रित हो उसको दो वर्ष का कारावास या एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

दहेज निरोधक अधिनियम 1961- इस अधिनियम के अनुसार, विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। दहेज लेने व देने वाले, इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को छः माह तक की जेल और पांच हजार रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता है। दहेज लेने व देने सम्बन्धी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। सन् 1986 ई0 में इस अधिनियम में संशोधन के उपरान्त दहेज लेने वाले को 5 वर्ष का कारावास और 15000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है।

प्रसूति लाभ अधिनियम 1961- इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी नियोजित स्त्री प्रसूति लाभ की हकदार तभी होगी जबकि उसने सम्भावित प्रसव की तिथि के तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों में कम से कम अस्सी दिन तक सेवायोजन के संस्थान में कार्य किया हो। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी स्त्री अधिकतम 12 सप्ताह की प्रसूति अवकाश की हकदार हो सकती है।

2017 में संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत भुगतान मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है जिसमें से आठ सप्ताह से अधिक अपेक्षित प्रसव की तारीख से पहले का नहीं होगा।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971- इस अधिनियम के अनुसार महिला को कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे यदि बच्चे को गर्भ में रखने से उसके जीवन को खतरा है या बच्चा गम्भीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है या गर्भ बलात्कार से ठहरा है तो गर्भ समापन की अनुमति प्रदान की जाती है। 12 सप्ताह तक का गर्भ एक चिकित्सक की सलाह और 12 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ दो डाक्टरों की सलाह पर ही समापन कराया जा सकता है, इससे अधिक के गर्भ का गर्भपात करवाया जाना कानून के विपरीत है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976- इस अधिनियम का मूल उद्देश्य महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान कार्य के लिये समान वेतन देना है। साथ ही कार्यक्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रत्येक महिला और पुरुष को एक जैसे काम के लिये एक समान पारिश्रमिक दे।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994- यह अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इस अधिनियम में पूर्व लिंग निर्धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार जन्म से पूर्व शिशु का लिंग परीक्षण कराने वाले दम्पति व परीक्षण करने वाले चिकित्सक पर जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005- इस अधिनियम के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस अधिनियम की धारा-3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार "प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य या आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर-मन को क्षतिगस्त करता है।" इस अधिनियम में पांच प्रकार के दुर्व्यवहारों-शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है। इसमें पीड़िता स्वयं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को या संरक्षण अधिकारी या पुलिस या अन्य के माध्यम से आवेदन कर सकती है। इसका निपटारा त्वरित रूप से 60 दिन में करना होता है। घरेलू हिंसा से पीड़िता को विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें हिंसा करने वाले को एक साल तक की सजा और 20 हजार का जुर्माना भी हो सकता है। इस अधिनियम के तहत दिये गये मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में होगी। यह अपील आदेश की तिथि या आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति/प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्ति के दिन से 30 दिनों, जो भी बाद का हो, में पेश की जा सकेगी।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013- इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और उन्हें एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करना है। इसमें यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक सम्पर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध,



अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। इस अधिनियम में दुष्कर्म के कारण पीड़ित महिला की मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। साथ ही इसमें न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत हर जिले में एक क्षेत्रीय शिकायत समिति के गठन का अनिवार्य प्रावधान है। यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आन्तरिक शिकायत समिति (I.C.C.) का गठन करना आवश्यक है।

निष्कर्ष- महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान मूलाधिकार प्रदान किये गये हैं। उन्हें समानता का, स्वतन्त्रता का शोषण के विरुद्ध आदि अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह निर्देशित है कि राज्य लिंगाधारित भेदभाव नहीं करेगा। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई। प्रत्येक नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समस्त महिलाओं (18 वर्ष से ऊपर) को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के साथ ही पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में उनके लिये स्थान आरक्षित किये गये हैं जिससे उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति सशक्त हुई है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया। जिससे वे वैवाहिक जीवन के कष्टप्रद होने की स्थिति में वैवाहिक बन्धन से मुक्त हो सकती हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा महिलाओं को पिता की सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया है किन्तु आज भी बेटी को शादी के बाद उसके पिता की सम्पत्ति का भागीदार बनाने में उसके भाई और रिश्तेदारों को परेशानी होती है। आज भी लोग महिलाओं को पराया धन समझते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के लागू होने के बाद भी दहेज प्रथा निरन्तर जारी है। प्रसूत लाभ अधिनियम का लाभ असंगठित क्षेत्र की समस्त महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के उल्लंघन के कारण ही कुछ राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी कम है जिससे कुछ पुरुषों को अविवाहित रहना पड़ता है या अन्य राज्यों से महिलाओं को विवाह हेतु लाना पड़ता है। घरेलू हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार देश में 18-49 आयु वर्ग की 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का सामना किया है। महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा के 80% से अधिक मामलों में अपराधी उनके पति रहे हैं।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया। यह कानून देश में कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचा रहा है किन्तु फिक्की, नवम्बर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 36% भारतीय कम्पनियों और 25% बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस अधिनियम का पालन नहीं किया। सरकार ने इन कम्पनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। जनवरी 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये। इंडियन एक्सप्रेस ने ई 2023 की अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के आधे खेल संघों ने अभी तक इस अधिनियम के अनुसार आन्तरिक शिकायत समिति नहीं बनाई है। महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा अनेक अधिनियम बनाये गये किन्तु समाज को इसका पूरा लाभ नहीं मिला। इन अधिनियमों को पूर्णतया प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक है कि महिलाओं को इनके प्रति जागरूक किया जाये, पुरुष अपने पितृ सत्तात्मक सोच में बदलाव लायें और सरकार इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 1999.
2. बसु, दुर्गा दास भारत का संविधान-एक परिचय, प्रेंटिस-हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1998.
3. ओझा सुरेश, महिला कानून, सर्जना, बिकानेर 2019.
4. सिंह डॉ. अमिता, लिंग एवं समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2019.
5. शर्मा, जी.एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2015.
6. पाण्डेय डॉ. अनुराधा, महिला सशक्तीकरण, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2010.
7. <https://www.jagranmantra.com/2021/10/lord-william-bentinck-history-in-hindi.html?m=1>
8. <https://navbharattimes.indiatimes.com/education/gk-update/jyotiba-phule-biography-history-and-facts-in-hindi/articleshow/87977565.cms>
9. <https://www.jansatta.com/sunday-magazine/inspirational-story-of-social-reformer-writer-ishwar-chandra-vidyasagar-in-jansatta-sunday-column/2395359/>
10. <https://hindi.news24online.com/business/hindu-succession-act-2005-do-daughters-have-right-on-fathers-property-even-after-marriage-know-what-the-law-says/227276/>
11. <https://hindi.feminisminindia.com/2021/11/11/equal-remuneration-act-in-india-and-gender-pay-gap-hindi/>
12. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/womens-rights/>
13. <https://thewirehindi.com/214969/30-percent-indian-women-are-9-subjected-to-physical-sexual-violence-says-national-family-health-survey-5/>
